जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 08.04.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस व स्टेटिक टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गाडी से 10,00,000/- (दस लाख) रूपये की नगदी बरामद की गई ।

कार्यवाही –

लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में बैरियर लगाकर अवैध शराब, नगदी व अन्य अवैध सामाग्री के परिवहन पर पूर्णतयाः अंकुश लगाने व संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की लगातार सघन चेकिंग के निर्देशन के अनुपालन में थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत चौकी भागीरथ गंगा पर दिनांक 08.04.2024 को चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली शहर पुलिस व स्टेटिक टीम द्वारा महिंद्रा स्कॉर्पियो कार रजि0 नं0 HR95B-8655 को चेक किया गया तो गाडी से कुल 10,00,000/- रूपये (500 – 500 रूपये के नोटों की कुल 20 गड्डी की नगदी बरामद की गई । गाडी को मोहित गर्ग पुत्र सुभाष गर्ग निवासी ग्राम सापला थाना सापला जनपद रोहतक हरियाणा चला रहा था । कार चालक द्वारा बरामद नगदी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया और न ही कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत किया गया । चेकिंग टीम द्वारा बरामद नगदी को नियमानुसार कब्जे में लिया गया तथा आयकर विभाग को सूचना दी गयी । इस सम्बन्ध में अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

बरामदगी –

10,00,000/- रूपये की नगदी (500 – 500 रूपये के नोटों की कुल 20 गड्डी)

बरामदगी करने वाली टीम –

1. स्टेटिक मजिस्ट्रेट मौ0 इरफान जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्यामपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3. मुख्य आरक्षी 558 पंकज चौधरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
4. मुख्य आरक्षी 734 नीरज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
5. मुख्य आरक्षी 751 राजीव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
6. आरक्षी 2167 अरुण पँवार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
7. आरक्षी 1925 देवेश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात **दिनांक- 08.04.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त सौरभ कुमार पुत्र गोपाल निवासी ग्राम भूमिदान प्रेमनगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 92/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम अभियुक्त सौरभ कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सौरभ कुमार पुत्र गोपाल निवासी ग्राम भूमिदान प्रेमनगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

40 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.मुख्य आरक्षी 134 सौरभ कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 31 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 08.04.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	बढापुर	अशरफ पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिट्ठोपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2	नजीबाबाद	छोटे उर्फ गुलफाम पुत्र मौ0 अली नि0 ग्राम मुढाला थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
3	नहटौर	अनिल पुत्र रेवती सिंह नि0 ग्राम नन्हेडा थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4	अफजलगढ़	नसीम पुत्र साबिर नि0 ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

थाना बढापुर

थाना नजीबाबाद

थाना नहटौर

थाना अफजलगढ़

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 08.04.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 08.11.2018 को वादी श्री सलीम अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ0 पतियापाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने अभियुक्त चांद उर्फ नूर मौहम्मद पुत्र नफीस निवासी मौ0 पतियापाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध वादी के भाई को जान से मारने की नीयत से फायर कर उसे घायल कर देने के संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 850/18 धारा 307 भादवि पंजीकृत कराया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-II, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त चांद उर्फ नूर मौहम्मद पुत्र नफीस निवासी मौ0 पतियापाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 850/18 धारा 307 भादवि में **10 वर्ष कारावास व 01 लाख रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- चांद उर्फ नूर मौहम्मद पुत्र नफीस निवासी मौ0 पतियापाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 08.04.2024

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2024 को शांतिपूर्वक/निर्विघ्न/निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत स्थानीय पुलिस व अर्द्धसैनिक बल के साथ थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न गांवो/कस्बों में एरिया डोमिनेशन किया गया।

आज दिनांक 08.04.2024 को पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2024 को शांतिपूर्वक/निर्विघ्न एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा आमजन में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस व अर्द्धसैनिक बल के साथ थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न गांवो (ग्राम जहानाबाद, मनोहरवाला, मुबारकपुर लाठे, खलीलपुर, मुख्तियारपुर, करमसखेडी, कस्बा साहनपुर) में एरिया डोमिनेशन किया गया तथा साथ ही उपरोक्त गांवो/कस्बों में विभिन्न मतदान केन्द्रों का भ्रमण/निरीक्षण कर सभी व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। एरिया डोमिनेशन के दौरान आमजन से संवाद किया गया तथा सभी को निडर होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया।

STANDARD CONFECTIONARY
AZEEM : Mob.: 8979155410, 8979519073
NISHU SWEETS CENT
CHOWK BAZAR, SAHANPUR, DISTT. BIJNOR